

2019

पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक... 18/11/19
को पेश हो।

1/2019


relash

बाई

सता

देवी

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वक़ुलप फरिक्केन इप
 कोनों पक्षों की बहल सुनी गई। सायलान वकील ने
 प्रार्थना पत्र के खर्चों तर्जों के दोहराते हुए विवाहित
 आराजी खंनं 3186/2168 पर आर्चाई निषेधाज्ञा बनाये
 रकना चाय / वकील गैरसापलान ने जवाब 72 को दोहराते
 हुए संपरिवर्तन आदेश दि. 8/1/2010 एवं विक्रप पत्र दि.
 14.09.2011 की छान्द प्रति पेश कर खर्चों कलम / पत्रावली
 एवं पेश इस्तौयजों का खर्चों करने एवं बहल पर मन
 कले के पश्चात प्रार्थना पत्र आर्चाई निषेधाज्ञा इस आशय
 के साथ खारिज किया जाता है कि सायलान के कृषि शक्ति
 के आधार पर प्रारम्भ पेश किया, जबकि उक्त शक्ति खंनं ³¹⁸⁶/₂₁₆₈
 सायलान के पूर्वज श्री मरुतलाल पुत्र श्री सुप्रदाल जाति जांगिड
 नि. खरोठ के द्वारा संपरिवर्तित कलात्री जात गैरसापलान
 के रजिस्टर्ड विक्रप दि. 14.9.11 को की जा चुकी है।
 साथ ही उभयपक्ष दिग्गोन-वधाना रोड के मध्य से 100 फिट
 संपरिवर्तित ^{रोड लीन} शक्ति पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं
 करने के लिए पाबन्द किया जाता है। वाद-ग्रस्त आराजी
 आवासीय शक्ति है जो इस मामलाप के क्षेत्राधिकार में नहीं है।
 पत्रावली फलत सुना देखा नभ्य उक्त की जावे।
 आज दि. 18/11/19 को केसल सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी
 सिविल